Mid केस नं. 6 NO.MJ CR - 10663/24 टिकीत दि. 03/05/24
CNR MP200101044222024 उपलब्ध नहीं उपलब्ध

(3)

समक्ष—न्यायालय श्रीमान न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जबलपुर
प्र. क. — 262 /24

आवेदक/सुर्पुददार — आकाश चौधरी s/o प्रीतमलाल चौधरी
निवासी- कटोदा बरेला म.प्र.

SCANNE

विरुद्ध

अनावेदक— म.प्र.शासन द्वारा थाना बरेला

S

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 457 द.प्र.सं. के तहत वाहन क्र. को सुर्पुदनामे पर प्राप्त करने बावद।

आवेदक/सुपुर्ददार निम्न लिखित निवेदन करता है कि —:

04.05.2024	आरक्षी केंद्र बरेला से अपराध क्रं 262/24 की केस डायरी सहित प्रतिवेदन प्राप्त। प्रतिवेदन अनुसार अपराध क्रं. 262/24 में वाहन क्रं एम.पी.–20 जेडए 3351 को जप्त किया गया है। प्रकरण में जप्त वाहन के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत असल दस्तावेज अनुसार आवेदक– **आकाश चौधरी पिता– प्रीतम लाल कटंगी रोड कठौदा जबलपुर** जप्तशुदा वाहन एम.पी.–22 जेडए 3351 का पंजीकृत स्वामी है तथा उक्त अपराध क्रमांक 262/24 धारा 279, 337 भा.द.सं. अपराध में जप्त किया गया है। आवेदक के अलावा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा उक्त वाहन के संबंध में कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि अंतर्गत न्यायदृष्टांत सुंदरभाई विरूद्ध अम्बालाल में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संपत्ति की अंतरिम सुपुर्दगी आवश्यक रूप से दी जानी चाहिए। प्रकरण

में अनुसंधान जारी है एवं इस अवधि में यदि वाहन को खुली अवस्था में थाना परिसर में रहने दिया तो निश्चित ही वाहन के कलपुर्जे खराब हो सकेंगे और उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जायेगी। अतः उक्त वाहन उसके पंजीकृत स्वामी की अभिरक्षा में ही सुरक्षित रहेगा।

तद्नुसार जप्तशुदा वाहन एम.पी.–20 जेडए 3351 के संबंध में पंजीकृत स्वामी की ओर से 1,50,000/–रूपए (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र) का सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर उक्त वाहन निम्न शर्तों पर अंतरिम सुपुर्दगी पर दिया जाता है कि :–

1– आवेदक उक्त जप्तशुदा वाहन को न्यायालय द्वारा तलब करने पर स्वयं के व्यय पर न्यायालय में पेश करेगा।

2– उक्त वाहन के रंग रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नही करेगा।

3– प्रकरण के अंतिम निराकरण तक उक्त वाहन किसी अन्य को विक्रय, भारित या अंतरित नही करेगा।

4– थाना प्रभारी बरेला को पत्र लिखा जाकर निर्देशित किया जावे कि वह जप्तशुदा वाहन के दो तरफ से रंगीन फोटो लेकर कार के संबंध में असल दस्तावेजों की तस्दीक कर वाहन को पंजीकृत स्वामी को सुपुर्द करें।

आकाश

आदेश अनुसार आवेदक– **आकाश चौधरी पिता– प्रीतम लाल कटंगी रोड कठौदा जबलपुर** द्वारा वांछित सुपुर्दगीनामा पेश किया।

आवेदक को अधिवक्ता **श्री स्नेहल बर्मन** द्वारा पहचाना गया बाद तस्दीक सुपुर्दगीनामा स्वीकार किया गया, जप्तशुदा वाहन का सुपुर्दगी आदेश जारी हो।

थाना प्रभारी बरेला को जप्तशुदा वाहन आवेदक को सुपुर्दगी में दिये जाने हेतु पत्र जारी किया जावे।

केस डायरी वापस की जावे। बंडल पत्रावलि चालान प्रस्तुत होने पर उसके साथ संलग्न की जावे।

04/05/24
(नेहा तोमर सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जबलपुर म.प्र.